NALSA
(NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY)

स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवाएं)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, औरंगाबाद (बिहार)

सत्यमेव जयते

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (BSLSA), पटना

व्यवहार न्यायालय परिसर, औरंगाबाद (बिहार)

आमजन के लिए जागरूकता संदेश

क्या आप बिजली, पानी, परिवहन, डाक, दूरसंचार, अस्पताल, बीमा सेवाओं अथवा **सुलहनीय यातायात (ट्रैफिक) चालान** से संबंधित किसी विवाद का सामना कर रहे हैं?

अब ऐसे मामलों के समाधान के लिए लंबी एवं खर्चीली न्यायिक प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं हैं। **स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवाएं)** के माध्यम से आप अपने विवाद का **त्वरित, सरल एवं सुलभ समाधान** प्राप्त कर सकते हैं।

स्थायी लोक अदालत की विशेषताएं

- त्वरित एवं सुलभ न्याय
- कम खर्च में विवाद का समाधान
- सरल एवं सौहार्दपूर्ण प्रक्रिया
- समझौते के माध्यम से विवाद निस्तारण का प्रयास
- पक्षकारों के समय एवं धन की बचत

किन मामलों का निस्तारण किया जा सकता है?

- विद्युत (बिजली) सेवाओं से संबंधित विवाद
- जलापूर्ति सेवाओं से संबंधित विवाद
- परिवहन सेवाओं से संबंधित विवाद
- डाक एवं दूरसंचार सेवाओं से संबंधित विवाद
- अस्पताल एवं चिकित्सा सेवाओं से संबंधित विवाद
- बीमा संबंधी विवाद
- अन्य जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित विवाद
- **सुलहनीय यातायात (ट्रैफिक) चालान संबंधी मामले**

महत्वपूर्ण सूचना

स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवाएं) का आयोजन

प्रत्येक शुक्रवार को

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, व्यवहार न्यायालय परिसर, औरंगाबाद (बिहार) में किया जाता हैं।

आमजन से अपील

जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों एवं सुलहनीय यातायात चालान मामलों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु **स्थायी लोक अदालत** का लाभ उठाएं।

विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें
किसी भी कार्य दिवस पर
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से।

फोन नंबर : 06186-222223

समय :
पूर्वाह्न 10:30 बजे से
सांयं 05:00 बजे तक

स्थायी लोक अदालत – सुलह, समाधान एवं त्वरित न्याय का सशक्त माध्यम